न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2023

बउनवान

1. देवभरत आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप
2. राजेन्द्र आयु 32 वर्ष पुत्र देवभरत, जातिगण मीणा, निवासीगण ग्राम टारडा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक–22.08.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 06.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम टारडा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 981 कुल रकबा 1.44 है., किस्म–गै.मु. तालाब पर अतिक्रमी मानकर 720/– रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है, तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 06.02.2023 निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.18 11:31:18 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है, तथा अपीलांट की आरे कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौनान बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 305/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 1.44 है., किस्म–गै.मु. तालाब, ग्राम टारडा पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 305/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ नायब न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 190/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.18 11:31:18 IST
Reason: SelfAttested